रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2414] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936
No. 2414] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

का.आ. 3002(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9 जनवरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित 9 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 45 (अ) के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश 1, पटियाला हाऊस न्यायालय, नई दिल्ली, को उक्त अधिनियम की धारा 11 उप धारा- (9) के तहत कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश-IV सह-अपर सत्र न्यायाधीश प्रभारी, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाऊस न्यायालय नई दिल्ली में अपर न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया था;

तथा चूंकि, श्री भरत पराशर, जिन्हें दिनांक 19 जून, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1564 (अ) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (i) के तहत कार्यवाही के लिए अपर न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1564 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, की सिफारिश पर सुश्री नीना बंसल कृष्णा को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपर न्यायाधीश के तौर पर एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (भाग-IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

S.O. 3002.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S. O. 45 (E), dated the 9th January, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January, 2012, appointed the Additional Sessions Judge-1, Patiala House Court, New Delhi as Additional Judge to the National Investigation Agency Special court i.e. the District Judge-IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi Police District, Patiala House Courts, New Delhi for conducting the business under sub-section (9) of section 11 of the said Act;

And whereas, Shri Bharat Parashar, who was appointed as the Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court for conducting the business under sub-section (9) of the section 11 of the said Act *vide* notification S. O. 1564 (E), dated the 19th June, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated 19th June, 2014, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) and (9) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number No. S. O. 1564(E) dated 19th June, 2014, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Delhi, hereby appoints Ms. Neena Bansal Krishna as the Additional Judge to the National Investigation Agency Special Court for the purposes of the said Act.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (Pt. IV)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

का.आ. 3003(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 2 मई, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 989 (अ) के द्वारा प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, अहमदाबाद को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के प्रयोजनार्थ संपूर्ण गुजरात राज्य क्षेत्र में अधिसूचित अपराधों के विचारण के क्षेत्राधिकार युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

तथा चूंकि, श्री के. के. भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, अहमदाबाद जिन्हें दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1075 (अ) द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1075 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व कर दी गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, की सिफारिश पर श्री पी. बी देसाई, प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल तथा सत्र न्यायाधीश अहमदाबाद को, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (भाग-IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

S.O. 3003(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 989 (E), dated the 30th April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd May, 2012, notified the Court of Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the territory of State of Gujarat for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri K. K. Bhatt, Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 1075 (E), dated 11th April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th April, 2014, has retired from service on the 30th September, 2014 after attaining the age of superannuation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S. O. 1075 (E), dated 11th April, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Acting Chief Justice of the High Court of Gujarat, hereby appoints Shri P. B. Desai, Principal Judge, City Civil and Sessions Court, Ahmedabad as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (Pt. IV)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.